

(दिल्ली राजपत्र भाग-4 साधारण में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
लोक निर्माण विभाग एवं आवास  
(आबंटन शाखा)  
पाँचवा तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली-110 002.

दिनांक: 21.11.2014

अधिसूचना

सं0फा0 4(1)/वि0/पार्ट-II/लो0नि0वि0/आवास - II/2009/15967 .- मौलिक नियमावली के नियम 45 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार शासकीय आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियमावली, 1977 का पुनः संशोधन करने के लिये निम्न प्रकार से नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ:-** (1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार शासकीय आवास आबंटन (सामान्य पूल) (संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जायेगा।  
(2) यह दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

2. **नियम 8 का संशोधन :-** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासकीय आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियमावली, 1977 (इसमें इसके बाद मूल नियमावली के रूप में संदर्भित), के नियम 8 के उपनियम (2) के उपरान्त निम्नलिखित उपनियम सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) टाइप I से IV आवासों की स्पष्ट रिक्तियों को 3 प्रतिशत निःशक्त व्यक्तियों को आबंटन करने के लिये आरक्षित की गई है जैसा निःशक्त व्यक्ति समान (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदार) अधिनियम, 1995 में परिभाषित है।”

3. **नियम 20 का संशोधन :-** मूल नियमावली के नियम 20 के नियम 20क के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“20क (1) शासकीय आवास (टाइप I से IV) का निर्माण आबंटन निम्नलिखित मामलों की सभी स्पष्ट रिक्तियों में 2 प्रतिशत तक किया जा सकेगा :-

**चिकित्सा आधार :**

- (क) क्षय रोग:- फुफ्फुसीय क्षय रोग (केवल गंभीर मामले) गंभीर मामले ऐसे परिभाषित किए गए हैं, जो फुफ्फुसीय भयंकर क्षय रोग से पीड़ित है या ऐसा क्षयरोग जिससे फेफड़ों की तन्तुशोथ होने तथा श्वसन प्रणाली क्षतिग्रस्त हो रही है।

श्वसन प्रणाली का हास तब माना जाएगा जब रोगी की पी0ए0ओ2 (ऐरियल ऑक्सीजन टेंशन) 60 एम0एम0एच0जी0 से कम हो या एस0ए0ओ2 रुम एयर पर सुपाइन स्थिति में विश्राम कर रहे व्यक्ति में होमोग्लोबिन ऑक्सीजन संस्तृप्ति 88 प्रतिशत से कम हो। श्वसन प्रणाली के क्षति से पीड़ित व्यक्ति के धमनीय रक्त गैसों का विश्लेषण तीन सप्ताह के अन्तराल पर दो विभिन्न समय पर किया जाना चाहिए।

21 दीप

- (ख) अनिष्टकर कैंसर, जिनमे कैंसर संबंधी स्वास्थ्य समस्या गंभीर है और इसके परिणामस्वरूप शारीरिक क्षमता में भारी कमी आई है, इसके लिये कैंसर के कारण चलने, बैठने तथा स्मरण करने जैसी मूलभूत गतिविधियां करने में अवश्य भारी कमी आ चुकी हो।

सभी प्रकार के कैंसर, यदि अन्तिम अवस्था पर, अन्तिम पड़ाव चतुर्थ अवस्था पर हैं, पुनरावृत्ति आगामी उपचार या इनऑपरेबल है, और जिससे उक्त शारीरिक निःशक्तता आई है, उसे शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित प्रलेखन में हिस्टो-पैथोलॉजी रिपोर्ट या शारीरिक चिकित्सक का नोट है, जिन मामलों में हिस्टोपैथालॉजी संभव नहीं है, उसमें इम्जिंग पर लीज़न के विवरण का उल्लेख होना चाहिए।

- (ग) एच आई वी पोस्टिव रोगी, जिनमें एड्स रोग हो गया है;
- (घ) वृक्क रोगी :- असाध्य वृक्क रोग तृतीय अवस्था तथा इससे अधिक अवस्था का मामला जिसके लिये डॉयलेसिस की आवश्यकता तथा/अथवा वृक्क प्रतिरोपण की आवश्यकता है या जिसने वृक्क का प्रतिरोपण कराया हुआ है।
- (ङ) हृदय विकार- ग्रेड-"III" और ग्रेड-"IV" या संकुलित हृदय खराबी- ग्रेड-"III" और ग्रेड-"IV", या ग्रेड-"III" और "IV" के लक्षणों सहित अनिष्टकर उच्च रक्त चाप";
- (च) यकृत निःशक्तता.- यकृत के निष्क्रिय असाध्य यकृत रोग जिसमें यकृत प्रतिरोपण की आवश्यकता है या जिसने यकृत प्रतिरोपण कराया हो।
- (2) आवेदक को शासकीय आवास के परिवर्तन/आबंटन के प्रयोजन के लिये किसी सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किए गये प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार के सभी मामलों की जांच किसी समिति द्वारा की जाएगी, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-
- |  |            |
|--|------------|
| 1. प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग)   | अध्यक्ष    |
| 2. संकायाध्यक्ष (मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज)   | सदस्य      |
| 3. प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग) द्वारा सहयोजित किए जाने वाले दो सरकारी चिकित्सक | सदस्य      |
| 4. उप-सचिव/सहायक आवास आयुक्त (आबंटन)   | सदस्य सचिव |
- (3) चिकित्सा आधार पर सरकारी आवास का आबंटन स्वयं तथा रोगी के आश्रितों तथा आश्रित बच्चों के लिये विचारणीय होगा।
- (4) चिकित्सा आधार पर सभी नए आबंटन आवेदक की पात्रता टाइप से एक टाइप कम किया जाएगा।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,

संदीप

(संदीप गुलाटी)  
उप सचिव (लोक निर्माण विभाग)

**(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE ORDINARY)**  
**GOVERNMENT OF NCT OF DELHI**  
**PUBLIC WORKS DEPARTMENT & HOUSING**  
**(Allotment Branch)**  
**5<sup>TH</sup> LEVEL "B" WING**  
**DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI**

Delhi dated the 21<sup>st</sup> .Nov.2014

**NOTIFICATION**

No. F.4(1)/Misc./P-II/PWD/A-II/2009/15967 : - In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the rules further to amend the Government of National Capital Territory of Delhi Allotment of Government Residential (General Pool) Rules, 1977, as following, namely :-

1. Short title and commencement :- (1) These rules may be called the Government of National Capital Territory of Delhi Allotment of Government Residences (General Pool)(Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come in to the force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule 8:- In the Government of National Capital Territory of Delhi Allotment of Government Residences(General Pool) Rules, 1977(herein after referred to as the Principal Rules), in Rule 8 after Sub-rule(2), the following sub- rule shall be inserted, namely:-

“(3) 3% of clear vacancies in Type-I to IV residence are reserved for allotment to persons with disabilities as defined under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act 1995.”

3. **Amendment of rule 20:-** In the Principal Rules, in rule 20, for Rule 20A, the following rule shall be substituted, namely :-

“**20A (1):-** Adhoc allotment of Government residence (Type-I to IV) may be made upto 2% in all of the clear vacancies in the following cases :-



Contd ..2

**MEDICAL GROUNDS:**

(a) T. B : Pulmonary Tuberculosis (serious cases only) Serious cases are defined as those with pulmonary military tuberculosis or tuberculosis leading to fibrosis of lungs and respiratory failure

Respiratory failure shall be considered when PaO<sub>2</sub> (arterial oxygen tension) of patient is less than 60 mmHg or SaO<sub>2</sub> (haemoglobin oxygen saturation is less than 88% in resting individual in supine position on room air. Arterial Blood gases analysis should be performed at two different times with interval of three weeks to label the patient suffering from respiratory failure.

(b) Malignant Cancer provided that health problem related to cancer is substantial and it has resulted in substantial limitations of abilities. For this, the malignancy must significantly limit ability to do basic work activities-such as walking, sitting and remembering.

All cancers if terminal, metastatic, stage-IV, recurrent following therapy or inoperable and lead to physical disability as above should be included. The documentation required for this purpose should include, histopathology report or physician note describing the lesson on imaging in cases where histopathology is not possible.

(c) HIV positive patients who develop AIDS;

(d) Kidney disease: A case of chronic kidney disease stage-III and above requiring dialysis and/or kidney transplant or who has undergone kidney transplant;

(e) Heart Ailments: "Heart ailments having symptoms of Grade 'III' and Grade 'IV' which includes serious disabilities like angina Grade 'III' and 'IV' or congested Cardiac failure Grades 'III' and 'IV', or Malignant Hypertension with symptoms of Grades 'III' and 'IV';

(f) Liver Failure: Chronic liver disease with liver failure requiring liver transplant or who has undergone liver transplant.


(2) The applicant shall have to furnish a medical certificate issued by any Government Hospital for the purpose of change/allotment of Government accommodation. All such cases will be scrutinized by a Committee having following members, namely:-

Pr. Secretary (PWD)	-	Chairman
Dean (MAMC)	-	Member
Two Government Doctors to be co-opted by Pr. Secretary (PWD)	-	Members
Dy. Secretary/Assistant Housing Commissioner (Allotment)	-	Member Secretary

(3) Allotment of Government accommodation on medical grounds will be considered for self and dependents consisting of Parents and dependent children.

- (4) All fresh allotments on medical grounds shall be done one type below the entitlement of the applicant."

**By order and in the name of Lt. Governor of  
National Capital Territory of Delhi,**

  
**(SANDEEP GULATI)**

**DEPUTY SECRETARY (PWD)**